

नम्बर
अहकाम
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

देतु पत्रावली

पत्रावली

8-517 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
~~अपीलार्थी/रेस्पोंडेंट/अपीलार्थी/अपीलार्थी/उभयपक्ष~~
उपरिष्ठत हैं/अनुपस्थित हैं/भीमान् भीखारीन
अधिकारी भ्रमण पर हैं/अन्य पर हैं/अन्य
कार्यों में व्यस्त हैं/अन्य कारण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्णतः अस्वीकार... 18-517
को पेश होना राजस्व कैम्प्यूटरला - 102
सीलोन पर पेश हो। सीडर

18-5-2017 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश
हुई। वादी मदन्या उपस्थित हैं। वादी ने राजीनामा
जमा कर अपना दावा नहीं चलाने का कत निवेदन
किया है। वादी को सुना गया क समझाया गया।
वादी ने प्रस्तुत राजीनामा से सहमति प्रकट की है।
अतः वादी का दावा राजीनामा अनुसार विद्वान
में स्वीकृत किया जाता है। पंचाडिक्री जारी किया
जाने। पत्रावली पेश सल्लशुमार होकर नम्बर से कम
हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

नम्बर

(रवि कुमार शर्मा)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(बालकृष्ण जार)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
उप जिला फलेक्टर
गंगापुर सिटी

पत्रावली उपर है
दि 08-5-17 को

होने के कारण
उभयपक्ष
पत्रावली दि

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खूटला सलौना

द्वारा अधिकारी:- बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

शुभ नौदिया, चमार निवासी ग्राम खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

शुभ नौदिया चमार निवासी ग्राम खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी

द्वारा जन्मिए तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

क्र.सं. - 108/2005

वादी की ओर से वादी नहन्या की व प्रतिवादी की ओर से कोई नही की उपस्थिति में
 इस में आज तारीख 18.5.2017 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम
 शर्त के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि
 लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी अपना वाद नही
 वादा है अतः वादी का वाद विद झा के आधार पर खारिज किया जाता है। राजीनामा
 का दिनांक देना।

पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

इस आज तारीख 18.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी



3
 बाबूलाल जाट
 उपखंड अधिकारी
 गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

न्यायालय सप्लाइ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, गंगामूर (मिडी)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
केम्प कोर्ट का स्थान :- इलाहाबाद - 110001

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 18/5/17
वनाम गुण-चन्द
अन्तर्गत धारा 106/2005

वनाम गुण-चन्द

अन्तर्गत धारा 53, 188 R.J.Act

आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

कि कबी इपल इपल चलाओ
इपल चलाओ इपल चलाओ
इपल चलाओ इपल चलाओ

कि इनका राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

- प्रतिवादी पक्ष 1.
- 2.
- 3.
- 4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

गुण-चन्द
सदस्य

राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना पड़ेगा। राजीनामा तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

गुण-चन्द
(ह0 सदस्य)
सदस्य
लोक अदालत
गंगामूर सिटी

रवि कुमार शर्मा
(ह0 सदस्य)
सदस्य
लोक अदालत
53 गंगामूर सिटी

3
(नाकुल जी)
अध्यक्ष
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
गंगामूर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगामूर सिटी

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

दिनांक/2017/53

दिनांक:- 18.5.17

विषय: मुकदमा नम्बर 106/2005, दावा

अन्वयन सह्या बनाम देवचंद वगैरा, तारीख निर्णय 18.5.2017

अन्वयन विषयान्तर्गत उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे डिक्री दिनांक 18.5.17 की
निष्पत्ती जा रही है। डिक्री के अनुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट मे इस
का निष्पत्ती सुनिश्चित करे।

डिक्री की सत्यता।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

de

18/5/17